

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

15 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेंगे आज आयुष्मान कार्ड

अब तक 3557 आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 19 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 20 जुलाई मंगलवार को विश्वकर्मा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार त्रिलोक नगर ए जवाहर महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार अलकापुरी ए डिम्पल महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार नयागांव ए ऑल इंडिया प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगर ए श्री कृष्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सखवाल नगर ए बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शहर सराय ए हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार राजेन्द्र नगर ए महर्षि प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार बाजना बस स्टैण्ड ए श्री माँ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार अमृत सागर ए गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार राजेन्द्र नगर ए वैष्णोदेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार भगतपुरी रामगढ़ ए दीपाली प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार दिलीप नगर ए विश्वास महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार फ्रीगंज ए मरियम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोड व विनायक महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार स्टेडियम मार्केट पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61 ए रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार ए वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा ए वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक

उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर की उचित मूल्य की दुकानों पर 14 जुलाई बुधवार को 199ए 15 जुलाई को 236ए 16 जुलाई को 204ए 17 जुलाई को 8ए 18 जुलाई को 215 व 19 जुलाई को 152 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 3557 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

19 जुलाई को 75 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 19 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 19 जुलाई सोमवार को 68 टन कचरा जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

19 जुलाई सोमवार को डम्पर व टे<sup>०</sup>क्टर ट्रॉली से 34665ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 24455ए काम्पेक्टर गीला कचरा 14265 व मैजिक 2110 किलो इस तरह कुल 75495 किलो कचरा जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

1104 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 19 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री

सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 19 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1104 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 19 जुलाई को पोलोग्राउण्ड ए टीआईटी रोड ए न्यू रोड ए सिविक सेन्टर आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों ए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें

ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम विभाग में संपर्क करें

रतलाम 19 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 19 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोंए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़क ए गली ए सार्वजनिक स्थल ए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है।

वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/19०7०2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.